

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धेश्वर कल व भू.अ.नि. प.धुमना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाहीपारवेडी तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०३३ में खाता संख्या २१५ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	लाहीपारवेडी	२१५	एस. बी. बी. जे. शाशवा रेलमगरा	एस. बी. आई. शाशवा रेलमगरा


पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा
दिनांक :- २९/९/२५

क्रमांक:- १-१५७/२०२५/२३
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा